



2026:AHC:44139

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3018, वर्ष 2026

राज कुमारयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: दिग्विजय तिवारी, किशन कुमार

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिग्विजय तिवारी एवं राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (माली) के रूप में नियुक्त किया गया था, हालांकि, उसे 01.11.2018 को निलंबित कर दिया गया था। उक्त निलंबन रिट-ए संख्या 281, वर्ष 2019, 'राजकुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' में चुनौती का विषय था, जिसमें निलंबन आदेश पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया गया था। तत्पश्चात, उक्त रिट याचिका 20.07.2022 को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे 25.01.2019 को सेवा में बहाल कर दिया गया था, लेकिन जिस अवधि के लिए याचिकाकर्ता को निलंबित रखा गया था, उस अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान रिट याचिका में प्रतिवादीगण को यह निर्देश देने की प्रार्थना की गई है कि वे याचिकाकर्ता को निलंबन की अवधि का वेतन भुगतान करें।
4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय का तर्क है कि मामला जो भी हो, एक बार जब याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया और उसके बाद निलंबन आदेश पर रोक लगा दी गई थी, तो याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाए कि जांच के तथ्य और परिणाम क्या रहे। उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
5. अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता 13.03.2026 तक रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। उक्त आवेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 2 आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेंगे, जिसमें इस तथ्य को ध्यान में रखा जाएगा कि कोई जांच की गई है या नहीं, और क्या अभियोजन के अभाव में रिट याचिका के खारिज होने के बाद, याचिकाकर्ता को पुनः निलंबित करने का कोई आदेश पारित किया गया है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

फरवरी 26, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।